

JCMS - 2021/307

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021, 3

"प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर घडसाना
पीठासीन अधिकारी :- अभिलाषा आर.ए.एस. कैम्प कोर्ट : ग्राम पंचायत 12 के.एन.डी.

-: आदेश :-

दिनांक : 12-10-2021

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का 1 के.एन.डी. द्वितीय-ए.
भू-अभिलेख निरीक्षक 2 KND की रिपोर्ट तथा तहसीलदार शबला /
नायब तहसीलदार 865 RD की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 2 के.एन.डी. द्वितीय-ए.
शबला जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत् 2073-76 में
खाता सं. 15 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध
किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं।)
1	2	3	4	5
01	1 के.एन.डी. द्वितीय-ए.	15	बृजलाल पुत्र रामुराम द्वितीय-ए. जाति बरजम, शक LKNM-2A - रखेदार रक्षित (पुरखाने) पजल नैशनल 2 के.एन.डी. मुर्तडी	बृजलाल पुत्र - रामुराम जाति - बकरी निकासी - LKNM II-A रखेदार रखे:- पजल नैशनल बैंगु डारवा 2 के.एन.डी मुर्तडी

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घडसाना कैम्प 12KND

क्रमांक / रीडर / प्र.गां.सं.अ. / 2021 / 35-36
प्रतिलिपि:-

दिनांक 12-10-2021

1. तहसीलदार घडसाना / शबला को भेजकर लेख हैं कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री बृजलाल पुत्र रामुराम को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घडसाना
कैम्प - 12KND